



संख्या- 1/2022/1989/77-1-2021-77-1002(003)/1/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,  
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2022

**विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप) लखनऊ संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु अवशेष धनराशि ₹०-5.00 लाख की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹०-10,00,000.00 (₹० दस लाख मात्र) के सापेक्ष व्यय हेतु 50 प्रतिशत ₹०-5,00,000.00 (₹० पांच लाख मात्र) शासनादेश संख्या- 6/2021/864/77-1-2021-02(बजट)/2015, दिनांक 12.04.2021 द्वारा जारी की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि ₹०-5,00,000.00 (₹० पांच लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं कि इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा:-

| क्रमांक | मानक मद                             | प्रयोजन            | बजट प्राविधान (₹०)  | पूर्व में निर्गत धनराशि (₹०) | वर्तमान में निर्गत की जा रही धनराशि (₹०) | अवशेष धनराशि (₹०) |
|---------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | रख-रखाव संचालन आदि | 10,00,000.00        | 5,00,000.00                  | 5,00,000.00                              | NIL               |
|         |                                     | <b>योग:</b>        | <b>10,00,000.00</b> | <b>5,00,000.00</b>           | <b>5,00,000.00</b>                       | <b>NIL</b>        |

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-जाप दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

5- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- “2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-18-इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग उ0प्र0 (इटप)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)” के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के अशासकीय पत्र संख्या- ई-6-3428-दस-2021-22, दिनांक 11.01.2022 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)  
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), कानपुर रोड, अमौसी, लखनऊ को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- 7- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), कानपुर रोड, अमौसी, लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4, उ0प्र0 शासन।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
- 10- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)  
संयुक्त सचिव।